

प्राथमिक सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत.. अमरपुरा. दिनांक 3/10/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/6

दिनांक:-3/10/2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** निवासी **पालवा** पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम **अमरपुरा** में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या **8** में **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
बस्सी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
जिल्ला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/767

दिनांक:-3/10/2025

निमित,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** राजस्व **अमरपुरा** पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या **8** में जाति/नाम **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** की जाति/नाम **कलाश देवा** पिता/पति श्री **गंगाश देवा** एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री कुलश पिता/पति श्री गोगराज रेवा
वनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री कुलश पिता/पति श्री गोगराज रेवा
निवास पालख का/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम दुन्दुभिया में खाता संख्या 8 कित्ता 10 रकबा 3.64 है. भूमि दर्ज
रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम कुलश पिता/पति श्री गोगराज कोला दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक
रूप में कुलश पिता/पति श्री गोगराज रेवा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम कोला पिता/पति श्री के बजाय रेवा पिता/पति श्री
दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 3/10/2025

कुलश रेवा
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री कुलश पिता/पति श्री गोगराज कोला निवासी पालख के राजस्व ग्राम दुन्दुभिया पटवार
हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप
में कुलश पिता/पति श्री गोगराज रेवा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम
एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी


पटवारी

पटवार मण्डल... अमरपुरा
तह. वरसी, जिल्हा-चित्तौड़गढ़ (राज.)


हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर 03.10.25